(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETIEE OF INDIA PART-I SECTION II) Government of India Ministry of Home Affairs

New Delhi, Date: 19.11.2025

NOTIFICATION

F. No. I-14011/04/2025-IPS.I (E) (II) In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following member of Bihar Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Bihar Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:-

Select List 2024

\$1. No	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1	Rajesh Kumar	20.04.1969

The aforesaid officers will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5(4) of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 as amended dated 10.05.2011.

> (Chandan Kumar) Under Secretary to the Government of India Tele No. 24010121

To

The Manager, Govt. of India Press, Minto Road, New Delhi-110064

No. I-14011/04/2025-IPS.I (E) (II)

New Delhi, Date: 19.11.2025

Copies to:

- 1. Chief Secretary, Government of Bihar, Patna with the request that the officers concerned may be intimated of their status in the Select List along with a copy of the Notification.
- 2. Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi - for information.
- 3. Director General of Police, Government of Bihar, Patna.
- 4. Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad.
- 5. Accountant General, Government of Government of Bihar, Patna.
- (NIC) for placing on MHA IPS Portal https://ips.gov.in/App_bihar.aspx and 'What's New' Section under heading Select List 2024-Bihar.

(Chandan Kumar) Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र भाग-I खंड II में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19.11.2025

अधिसूचना

संख्या. I-14011/04/2025-IPS I (इ) (II) राष्ट्रपंति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्त) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिविक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत बिहार संवर्ग प्रदान करते है:-

चयन सूची 2024

क्रम सं0	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	जन्म तिथि
1	राजेश कुमार	20.04.1969

2. उपर्युक अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के तहत एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5(4) में संशोधन दिनांक 10.05.2011 के तहत अधिकारी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(चंदन कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष- 011-24010121

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली।

संख्या. I-14011/04/2025 -IPS I (इ) (II)

नई दिल्ली दिनांक: 19.11.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना- यह अनुरोध है कि सम्बंधित अधिकारी को चयन सूची में उनकी स्थिति के बारे में अधिसूचना की एक प्रति के साथ सूचित कर दिया जाय।
- २. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
- ३. पुलिस महानिदेशक, बिहार सरकार, पटना
- ४. निदेशक, सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद-500 052
- ५. महालेखापाल, बिहार सरकार, पटना
- ६. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (NIC एन आई सी) को उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु (under link "https://ips.gov.in/sl bihar.aspx.)under heading Select List 2024 -Bihar

(चंदन कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार